## बिहार सरकार
## अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
## (योजना एवं विकास विभाग)

पत्रांक –अ०सा०नि०/स्था०3–05/2021 103 /पटना, दिनांकः– 15/03/22

**आदेश**

विज्ञापन संख्या–110/2010 के अंतर्गत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित एवं अनुशंसित तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आवंटित कुल 33 कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक की नियुक्ति हेतु उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की जाँच एतदर्थ गठित टीम द्वारा दिनांक–29.03.2022 को निर्धारित है। इस संबंध में विभाग के स्तर से गठित जाँच टीम के सदस्य निम्नवत हैं :–

Team-A :- श्री उपेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, श्री अमिताभ विलोचन, सहायक, श्री संतोष कुमार, सहायक।

Team-B :- श्री संजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री अजीत कुमार शर्मा, सहायक एवं श्री कलेन्द्र मालाकार, सहायक।

Team-A एवं Team-B के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रमाण पत्रों/अन्य आवश्यक अभिलेखों की जाँच के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा समर्पित स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर उसपर अपना लघु हस्ताक्षर अंकित करेंगे तथा उक्त टीम के कनीय प्रभारी पदाधिकारी श्री राधेश्याम दिवाकर, उप निदेशक को जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे।

दोनो कनीय प्रभारी पदाधिकारी सभी प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत संतुष्ट हो लेने पर अंतिम रूप से जाँच हेतु वरीय प्रभारी पदाधिकारी श्री मनीष कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

किसी भी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र/अभिलेख में त्रुटि पाये जाने या अभ्यर्थी पर संदेह होने की स्थिति में इसकी सूचना अविलंब उपस्थित वरीय पदाधिकारी को देंगे।

अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु जाँच पत्रक अभ्यर्थियों को जाँच टीम के समक्ष ही भरना होगा तथा हस्ताक्षर हर हाल में जाँच टीम के सामने ही अंकित करना होगा। जाँच पत्रक के उपर का आधा भाग अभ्यर्थियों को भरना है तथा नीचे का आधा भाग जाँच टीम द्वारा प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की जाँच के बाद भरना है।

प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन संबंधी कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु श्री अजीत कुमार, सहायक निदेशक द्वारा जाँच स्थल पर उपस्थित रहकर सहयोग किया जायेगा।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी कार्यों के दौरान टंकण संबंधी कार्यों के लिए श्री सुनील जमुआर एवं गणेश कुमार शर्मा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर रहेंगे। कार्यालय परिचारी श्री सुधांशु कुमार एवं श्री जयन्त कुमार सत्यापन कार्यों के दौरान उपस्थित रहकर यथा निर्देशित कार्यों का निष्पादन करेंगे।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी कार्य पुराना सचिवालय, अनेक्सी भवन के प्रथम तल पर अवस्थित सांख्यिकी निदेशालय के सभाकक्ष में निष्पादित किया जायेगा।

2. प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु गठित उपरोक्त चार टीमों के अतिरिक्त आगन्तुक अभ्यर्थियों को समुचित जगह पर बैठाने, कोविड–19 के प्रोटोकॉल का पालन करने से संबंधित जाँच कर संतुष्ट होते हुए उन्हें सभा कक्ष में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र/पर्ची देने तथा पूरे दिन कार्य निष्पादन की व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रबंध करने के निमित एक अन्य टीम M गठित की जाती है जिसमें श्रीमती सरिता कुमारी, सहायक निदेशक, श्री शशिधर कुमार सिन्हा, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं संजय कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक शामिल होंगे।

ह०/–
**(मनीष शर्मा)**
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–अ०सा०नि०/स्था०3–05/2021 502 /पटना, दिनांकः– 15/03/22

प्रतिलिपिः– निदेशक, कोषांग/सहायक निदेशक–सह–आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित सभी पदाधिकारी/सभी कर्मी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि वे श्री मनीष शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से सम्पर्क कर आवश्यक कागजात/सूचना/प्रपत्र प्राप्त कर उन्हें विभागीय वेब साईट पर अविलंब अपलोड कर सूचित करेंगे।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)